कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 84 / 2023

श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिवदत्त पाण्डेय निवासी नरहरी भवन आई.टी.आई के पीछे पुरानी शिववाडी रोड़, पटेट नगर बीकानेर पिन 334003 मो0 नं0 9460139092

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.01.2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिवदत्त पाण्डेय निवासी नरहरी भवन आई.टी.आई के पीछे पुरानी शिववाडी रोड़, पटेट नगर बीकानेर पिन 334003 की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 23 / 806 दिनांक 19.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लो.सू.अधि. प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के पत्रांक सामान्य / अपील / 2023 / 10445 दिनांक 28.12.2023 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर से

आरटीआई / अपील / 2023 / 84
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय बनाम प्रभारी अधि0 सामा0 कलै0 भरतपुर

सम्बन्धित होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत कार्यालय के पत्रांक सामान्य/RTI (161)/2023/9725 दिनांक 07.11.2023 से उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर को भिजवा दी गई थी एवं इस बाबत् प्रार्थी को भी कार्यालय के पत्रांक सामान्य/RTI (161)/2023/9726–27 दिनांक 07.11.2023 से सूचित भी कर दिया गया था।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के स्तर पर लम्बित नहीं है। प्रार्थी, चाही गई सूचना के सन्दर्भ में नियमानुसार उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर कार्यालय में पत्राचार/सम्पर्क करें।

लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर